# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उनियारा जिला टोंक

(श्री त्रिलोकचन्द मीना, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा )

दावा संख्या :– 140 / 2023
निर्णय दिंनाक :– 06.06.2024

## उनवान

1. अनोख पत्नि स्व0 श्योनारायण जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
2. औमप्रकाश पुत्र स्व0 श्योनारायण जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
3. मनोज पुत्र स्व0 श्योनारायण जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
4. मंजू पुत्री स्व0 श्योनारायण जाति माली निवारी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
5. कन्हैयालाल पुत्र स्व0 श्यामा जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
6. तेजमल पुत्र स्व0 श्यामा जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
7. सत्यनारायण पुत्र स्व0 श्यामा जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)

[redacted]

8. भंवरलाल पुत्र स्व0 श्यामा जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
9. शंकर पुत्र स्व0 श्यामा जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
10. लादी पुत्री स्व0 श्यामा जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
11. रामकुरी पुत्री स्व0 श्यामा जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
12. सुशीला पुत्री स्व0 श्यामा जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
13. गंगा बेवा स्व0 श्यामा जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
14. खालीराम पुत्र स्व0 कल्याण जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)

14.1. श्रीमति मोत्या बेवा खालीराम जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
14.2. हेमराज पुत्र खालीराम जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
14.3. बृजमोहन पुत्र खालीराम जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
14.4. बाबूलाल पुत्र खालीराम जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
14.5. बबलू सैनी पुत्र खालीराम जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
14.6. गौतम सैनी पुत्र खालीराम जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
14.7. किष्कन्दा पुत्री खालीराम जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
14.8. मोहनी पुत्री खालीराम जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
14.9. ममता पुत्री ख्यालीराम जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
14.10. गुड्डी पुत्री खालीराम जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
14.11. कमला पुत्री खालीराम जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
[redacted] 14.12. गोराबाई पुत्री खालीराम जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)

—वादी

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 कल्याण जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
2. चिरन्जी पुत्र कल्याण दत्तक पुत्र बिरदा जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
3. तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)

–प्रतिवादीगण

### वाद बाबत् घोषणा,दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री प्रेमचन्द जैन अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादीगण की ओर कोई उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।
3. तहसीलदार उनियारा की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला टोंक

# निर्णय

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का वाद पेश किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजों की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी साबिक खाता संख्या 407 हाल खाता संख्या नया 936 खसरा नम्बर 2833 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 2834 रकबा 0.39 है0, खसरा नम्बर 2835 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 2836 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 2837 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 2838 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 2839 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 2840 रकबा 0.16 है0 खसरा नम्बर 2841 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 2842 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 2843 रकबा 0.15 है0 खसरा नम्बर 2844 रकबा 0.16 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 2.18 हैक्टर वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है। उक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत मे प्राप्त हुई है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है –

कल्याण पुत्र किशना

श्यामा उर्फ श्यामसुन्दर,फोत | चिरन्जी बिरधा पुत्र किशना के गोद चला गया | लक्ष्मीनारायण | खालीराम | श्योनारायण, फोत

(श्योनारायण, फोत) – औमप्रकाश | मनोज | मंजू पुत्री | अनोख, बेवा

(श्यामा उर्फ श्यामसुन्दर,फोत) – कन्हैयालाल | तेजमल | सत्यनारायण | भवंरलाल | शंकर | लादी पुत्री | रामकुरी पुत्री | सुशीला पुत्री | गंगा बेवा

सजरा अनुसार प्रतिवादीगण नं0 2 चिरन्जी वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 के पूर्वज कल्याण पुत्र किशना के जीवनकाल में ही कल्याण के भाई बिरदा पुत्र किशना के कोई संतान नहीं होने के कारण गोद चला गया था, तब से प्रतिवादी नं0 2 बिरदा की सम्पति जमीन जायदाद में काबिज हो गया है। प्रतिवादी नम्बर 2 चिरन्जी का कल्याण पुत्र किशना की सम्पत्ति से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 के पिता कल्याण पुत्र किशना का स्वर्गवास सन् 1986 में हो गया था। कल्याण पुत्र किशना के फोती नामान्तकरण में गलत रूप से प्रतिवादी नम्बर 2 ने अपना नाम कल्याण के वारीसान में दर्ज करवा लिया है, जबकि प्रतिवादी नम्बर 2 बचपन में ही बिरदा पुत्र किशना के गोद चला गया था एवं बिरदा पुत्र किशना की सम्पत्ति जमीन जायदाद आदि में अपना नाम भी दर्ज करवा चुका है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी नम्बर 2 का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है, ना ही किसी प्रकार को कोई कब्जा है, परन्तु खातेदारी में प्रतिवादी नम्बर 2 का गलत रूप से नाम दर्ज हो जाने के कारण प्रतिवादी नम्बर 2 की नीयत में बेईमानी आ गयी है, वह उक्त वर्णित आराजीयात के 1/5 हिस्से को अन्यत्र हस्तान्तरण करने पर आमादा है, इस कारण वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है। उक्त वर्णित आराजीयात में से प्रतिवादीगण नम्बर 2 का नाम हटाया जाकर उक्त 1/5 हिस्से को कल्याण पुत्र किशना के अन्य सभी वारिसान के नाम लगाया जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक है।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 18.12.2023 को अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रस्तुत उनवानी प्रकरण में वादी संख्या 14 खालीराम पुत्र कल्याण जाति माली निवासी उनियारा तहसील उनियारा की मृत्यु दिनांक 12.09.2023 को हो गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया जावे। अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया गया। दिनांक 27.12.2023 को संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के उपस्थित नहीं होने के कारण अधिवक्ता वादी को



उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

प्रतिवादीगण के सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये जाने के आदेश प्रदान किये गये। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को भेजी गई रजिस्टर्ड डाक की रसीदे एवं कार्यालय उप डाकपाल उनियारा द्वारा दिनांक 20.03.2024 को जारी किये गये प्रमाण की प्रति प्रस्तुत की गयी। प्रतिवादीगण 1 व 2 को बार-बार आवाज लगाये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 असालतन अथवा वकालत उपस्थित नहीं हुये। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य के रूप में वादी संख्या 3 मनोज पुत्र श्योनारायण PW1, पिन्टू साहूं पुत्र नन्दलाल साहू निवासी उनियारा PW2, लोकेश कुमार जैन पुत्र बाबूलाल जैन निवासी उनियारा PW3, व बिरधीचन्द माली पुत्र माधोलाल माली निवासी उनियारा जिला टोंक PW4 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। साक्ष्य PW1,PW2,PW3 व PW4 द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्रों में यह कथन किया गया है कि उक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को विरासत में प्राप्त हुई है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज कल्याण पुत्र किशना के पांच पुत्र श्यामा उर्फ श्यामसुन्दर(फोत), चिरन्जी (बिरधा पुत्र किशना के गोद चला गया), लक्ष्मीनारायण, खालीराम व श्योनारायण(फोत) है। वादीगण के पिता कल्याण पुत्र किशना का स्वर्गवास हो चुका है कल्याण पुत्र किशना के पांच पुत्रों में से एक पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 चिरन्जी, अपने पिता कल्याण पुत्र किशना के भाई बिरधा पुत्र किशना के कोई सन्तान नहीं होने के कारण गोद चला गया है। प्रतिवादी संख्या 2 चिरन्जी, बिरधा पुत्र किशना की सम्पत्ति जमीन जायदाद में काबिज हो गया गया है जिससे प्रतिवादी संख्या 2 चिरन्जी दत्तक पुत्र बिरदा का कल्याण पुत्र किशना की सम्पत्ति से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। वादीगण के पिता कल्याण पुत्र किशना का स्वर्गवास हो जाने पर प्रतिवादी संख्या 2 चिरन्जी ने कल्याण पुत्र किशना के फोती के नामान्तरकरण में गलत रूप से अपना नाम कल्याण पुत्र किशना के वारिसान में दर्ज करवा लिया गया है जबकि प्रतिवादी संख्या 2 चिरन्जी बचपन में ही बिरदा पुत्र किशना के गोद चला गया था एवं बिरदा पुत्र किशना की सम्पति एवं जमीन जायदाद आदि में अपना नाम भी दर्ज करवा चुका है। मौके पर उक्त सम्पूर्ण आराजी में वादीगण अपने-अपने हिस्सानुसार काश्त करते चले आ रहे है। होगी। दिनांक 30.04.2024 को अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया जाकर बहस की गई। अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस को सुना गया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि उक्त उनवानी प्रकरण में टंकण सम्बन्धित त्रुटि के कारण वादी संख्या 14, वादी संख्या 14/4, वादी संख्या 14/12 एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम गलत रूप से अंकित कर दिये गये है जिन्हे शुद्ध किया जाने का आदेश प्रदान किया जावे। अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस के उपरान्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर संशोधित वाद पत्र में लाल पेन से संशोधन किया जाने के आदेश प्रदान किये गये।

पत्रावली बहस हेतु दिनांक 28.05.2024 को पेश हुयी। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। तहसीलदार उनियारा की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2059-60 के खाता संख्या 407 में अंकित खसरा नम्बर 2584 लगायत 2595 कुल किता 12 कुल रकबा 2.18 है0 वाके ग्राम उनियारा पटवार मण्डल उनियारा तहसील उनियारा में कल्याण पुत्र किशना जाति माली साकिन देह खातेदार राहिन टोंक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड टोंक के नाम दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072-73 ग्राम उनियारा पटवार मण्डल उनियारा तहसील उनियारा के खाता संख्या 936 के अन्तर्गत अंकित आराजी खसरा संख्या 2833 लगायत 2844 कुल किता 12 कुल रकबा 2.18 है0 श्योनारायण, श्यामा, कल्याण के वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड है। कल्याण पुत्र किशना के वारिसान श्यामा उर्फ श्यामसुन्दर, चिरन्जी, लक्ष्मीनारायण, खालीराम, श्योनारायण थे। श्यामा उर्फ श्यामसुन्दर के फोत हो जाने से श्यामा की खातेदारी में अंकित कृषि भूमि उसके वारिसान कन्हैयालाल, तेजमल, सत्यनारायण, भंवरलाल राकेश पुत्रान श्यामा उर्फ श्यामसुन्दर(वादी संख्या 5 लगायत 9) तथा लादी, रामकुरी, सुशीला पुत्रियां स्व0 श्यामा वादी संख्या(10,11,12) तथा श्रीमति गंगा बेवा पत्नी स्व0 श्यामा ( वादी संख्या13) के नाम हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चिरन्जी पुत्र कल्याण अपने पिता के के भाई बिरदा पुत्र किशना के निःसंतान होने के कारण गोद चला गया था तब से प्रतिवादी नम्बर 2 चिरन्जी का कल्याण पुत्र किशना की संपत्ति से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहा है। श्योनारायण पुत्र कल्याण के फोत हो जाने से उसकी खातेदारी में स्थित कृषि भूमि उसके वारिसान ओमप्रकाश, मनोज पुत्रान श्योनारायण( वादी संख्या 2 एवं 3), अनोख पत्नी श्योनारायण एवं अंजु पुत्री श्योनारायण ( वादी संख्या 1 एवं 4 ) के नाम हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी नम्बर 2 चिरन्जी पुत्र कल्याण, कल्याण पुत्र किशना के जीवनकाल में ही कल्याण पुत्र किशना के भाई बिरदा पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

किशना के गोद चला गया था। कल्याण पुत्र किशना की मृत्यु 1986 में हुई थी। कल्याण की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कल्याण पुत्र किशना के फौती नामान्तरकरण में गलत रूप से अपना नाम दर्ज करवा लिया गया है जिसका कि उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रश्नगत कृषि भूमि से प्रतिवादी संख्या 2 का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है न ही उसका प्रश्नगत आराजी पर कब्जा है परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 उक्त कृषि भूमि को अन्यत्र हस्तान्तरण करने पर आमादा है। अतः प्रश्नगत आराजीयात में से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हटाया जाकर उसके 1/5 हिस्से का अंकन कल्याण पुत्र किशना के अन्य सभी वारिसानों के नाम किया जाना उचित एवं विधि अनुकुल एवं आवश्यक है। पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि यदि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तो कोई राजकीय हानि नहीं होगी। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु कुछ अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गई जिसकी अनुमति प्रदान की गई। पेरोकार सरकार को प्रश्नगत उनवानी प्रकरण में मौका पर्चा ग्राम उनियारा पटवार मण्डल उनियारा तहसील उनियारा प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।

पत्रावली पुनः बहस हेतु दिनांक 06.06.2024 को पेश हुई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी पूर्व बहस में कहे गये कथनो को दोहराया गया तथा नगरपालिका मण्डल उनियारा द्वारा जारी पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें यह अंकित किया गया है कि प्रमाणित किया जाता है कि चिरन्जी पुत्र कल्याण जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 12 उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक को व्यक्तिगत रूप से जानती हूं। चिरन्जीलाल, बिरधीचन्द पुत्र किशना जाति माली के बहुत साल पहले गोद चला गया था। चिरन्जीलाल बिरधीचन्द की सम्पति पर काबिज है। अधिवक्ता वादी द्वारा कथन किया गया कि वाद वादी स्वीकार किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 2 चिरन्जी पुत्र बरधा का नाम जमाबन्दी वर्ष 2072–73 खाता संख्या 936 वाके ग्राम उनियारा पटवार मण्डल उनियारा तहसील उनियारा से हटाया जाकर चिरन्जी के हिस्से का समस्त वादीगण एवं प्रतिवादी 1 को खातेदार घोषित कर वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्सा बंराबर अंकन किया जावे। पेरोकार सरकार द्वारा मौका पर्चा दिनांक 30.05.2024 की मूल प्रति प्रस्तुत की गई। उक्त मौका पर्चा में कल्याण पुत्र किशना माली का सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है। उक्त मौका पर्चा में यह अंकित किया गया है कि कल्याण पुत्र किशना का पुत्र चिरन्जी कल्याण के भाई बिरधा पिता किशना के गोद चला गया है एवं नामान्तरकरण संख्या 23 एवं 142 ग्राम उनियारा पटवार मण्डल उनियारा से भी यही प्रमाणित होता है कि चिरन्जी पुत्र कल्याण, बरधा पुत्र किशना के उत्तराधिकारी के रूप में बरधा पिता किशना की विरासत चिरन्जी पुत्र कल्याण के एवं बरधा की पत्नी कस्तुरी की विरासत भी चिरन्जी पुत्र कल्याण के नाम खुली है। पेरोकार सरकार द्वारा यह कथन किया गया है कि यदि वाद वादी स्वीकार किया जाता है तो कोई राजकीय हानि नहीं होगी। हमने अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी वर्ष 2059–60 खाता संख्या 425(प्रदर्श–1), जमाबन्दी सम्वत् 2059–60 (प्रदर्श–2), मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–3), जमाबन्दी वर्ष 2073 खाता संख्या 936 (प्रदर्श–4), जमाबन्दी वर्ष 2041 खाता संख्या 206 (प्रदर्श–5), नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 04.12.1991 (प्रदर्श–6), जमाबन्दी वर्ष 2072–73 खाता संख्या 214 ग्राम उनियारा पटवार मण्डल उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (प्रदर्श–7), खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी दिनांक 29.06.2023 (प्रदर्श–8), जमाबन्दी वर्ष 2052–55 खाता संख्या 188,189,190 (प्रदर्श–9), नगरपालिका उनियारा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मौका पर्चा ग्राम ग्राम उनियारा दिनांक 30.04.2024 का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन स्थिति इस प्रकार पायी गयी। जमाबन्दी वर्ष 2059–60(प्रदर्श–1) के खाता संख्या 425 के खसरा नम्बर 2584 लगायत 2595 कुल किता 12 कुल रकबा 2.18 कल्याण पुत्र किशना जाति माली साकिन देह खातेदार राहिन टोंक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड टोंक के राहिन दर्ज है। मिलान क्षेत्र (प्रदर्श–3) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 2584 लगायत 2595 के नवीन खसरा नम्बर 2833 लगायत 2844 बने है जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2072–73 वाके ग्राम उनियारा पटवार मण्डल उनियारा तहसील उनियारा के खाता संख्या 936 के अनुसार अनोख पत्नि स्व0 श्योनारायण हिस्सा 1/20 जाति माली साकिन देह खातेदार, औमप्रकाश पुत्र स्व0 श्योनारायण हिस्सा 1/20 जाति माली साकिन देह खातेदार, कन्हैयालाल पुत्र श्यामा हिस्सा 1/45 जाति माली साकिन देह खातेदार, खालीराम पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5 जाति माली साकिन देह खातेदार, गंगा पत्नि स्व0 श्यामा हिस्सा 1/45 जाति माली साकिन देह खातेदार, चिरन्जी पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5 जाति माली साकिन देह खातेदार, तेजमल पुत्र श्यामा हिस्सा 1/45 जाति माली साकिन देह खातेदार, भंवरलाल पुत्र श्यामा हिस्सा 1/45 जाति माली साकिन देह खातेदार, मंजू पुत्री श्योनारायण हिस्सा 1/20 जाति माली साकिन देह खातेदार, मनोज पुत्र श्योनारायण हिस्सा 1/20 जाति माली साकिन देह खातेदार, रामकुरी पुत्री श्यामा हिस्सा 1/45 जाति माली साकिन देह खातेदार, लक्ष्मीनारायण पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

कल्याण हिस्सा 1/5 जाति माली साकिन देह खातेदार, लादी पुत्री श्यामा हिस्सा 1/45 जाति माली साकिन देह खातेदार, शंकर पुत्र श्यामा हिस्सा 1/45 जाति माली साकिन देह खातेदार, सत्यनारायण पुत्र श्यामा हिस्सा 1/45 जाति माली साकिन देह खातेदार, सुशीला पुत्री श्यामा हिस्सा 1/45 जाति माली साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी वर्ष 2041 ग्राम उनियारा पटवार मण्डल उनियारा के खाता संख्या 206 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरा संख्या 2171 लगायत 2174 आराजी खसरा संख्या 2202 एवं आराजी खसरा संख्या 3400 कुल किता 6 रकबा 5 बीघा बरधा पुत्र किशना जाति माली साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है(प्रदर्श–5)। उक्त जमाबन्दी में यह अंकन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 23 दिनांक 15.01.1991 बरधा बनाम चिरन्जीलाल दत्तक पुत्र बरधा व कस्तुरी बेवा बरधा माली के नाम स्वीकार किया गया है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा संख्या 2171 लगायत 2174 वाके ग्राम उनियारा पटवार मण्डल उनियारा के नवीन खसरा नम्बर 2347 लगायत 2350 बने है। इसी प्रकार खसरा संख्या 2202 से नवीन खसरा नम्बर 2386 बना है। उक्त नवीन खसरा नम्बर मुताबिक जमाबन्दी चिरन्जीलाल दत्तक पुत्र बरधा जाति माली साकिन देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा उनियारा के नाम दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में अंकित कल्याण पुत्र किशना के सजरा खानदान के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कल्याण पुत्र किशना के पांच पुत्र थे। श्यामा पुत्र कल्याण के फोत हो जाने के पश्चात् श्यामा की विरासत श्यामा के वारिसान वादी संख्या 5 लगायत 13 के नाम हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड है। श्यामा पुत्र कल्याण फोत हो चुका है जिसके वारिसान 5 लगायत 13 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी वर्ष 2072–73 खाता संख्या 936 ग्राम उनियारा पटवार मण्डल उनियारा तहसील उनियारा कुल किता 12 कुल रकबा 2.18 है0 के 1/5 हिस्से पर अंकित है। लक्ष्मीनारायण पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5 जाति माली साकिन देह खातेदार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072–73 के खाता संख्या 936 ग्राम उनियारा पटवार मण्डल उनियारा तहसील उनियारा में दर्ज रिकार्ड है। खालीराम पुत्र कल्याण की मृत्यु दिनांक 12.09.2023 को ही हो चुकी है जिसके वारिसान वादी संख्या 14.1 लगायत 14.12 है, श्योनारायण पुत्र कल्याण फोत हो चुका है जिसके वारिसान वादी संख्या 1 लगायत 4 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी वर्ष 2072–73 खाता संख्या 936 ग्राम उनियारा पटवार मण्डल उनियारा तहसील उनियारा में अंकित आराजीयात कुल किता 12 कुल रकबा 2.18 है0 के 1/5 हिस्से पर अंकित है। चिरन्जी पुत्र कल्याण, कल्याण पुत्र किशना के भाई बिरधा पुत्र किशना के गोद चला गया था जिससे बिरधा पुत्र किशना की विरासत चिरन्जी को बिरधा का दत्तक पुत्र मानते हुए चिरन्जी के नाम अंकित की गई। उक्त तथ्य की पुष्टि नामान्तरकरण संख्या 23 व 142 ग्राम उनियारा पटवार मण्डल उनियारा तहसील उनियारा के अवलोकन से होती है। इस तथ्य की पुष्टि पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा से भी होती है। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य नगरपालिका द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति के अवलोकन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि चिरन्जीलाल बरधा पुत्र किशना के गोद चला गया था। इस कारण से बरधा पुत्र किशना एवं तत्पश्चात कस्तुरी पत्नी बरधा की विरासत चिरन्जी के नाम अंकित होना राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित होता है। हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 के अनुसार दत्तक अपत्य दत्तक की तारीख से अपने दत्तक पिता या माता का अपत्य समस्त प्रयोजनों के लिए समझा जायेगा और ऐसी तारीख से यह समझा जायेगा कि उस अपत्य के अपने जन्म के कुटुम्ब के साथ समस्त बन्धन टूट गये है और उनका स्थान उन बन्धनों ने ले लिया है, जो दत्तक कुटूम्ब में दत्तक के कारण सृजित हुये है। चूंकि अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र में तथा अपनी बहस में यह कथन किया गया है कि चिरन्जी पुत्र कल्याण अपने पिता कल्याण के जीवनकाल में बरधा पुत्र किशना के गोद चला गया था। यह तथ्य साक्ष्यवादी के शपथ पत्र नामान्तरकरण संख्या 23 एवं 142 ग्राम उनियारा पटवार मण्डल उनियारा तहसील उनियांरा , मौका पर्चा दिनांक 30.04.2024 ग्राम उनियारा तथा प्रमाण पत्र नगरपालिका उनियारा से प्रमाणित होता है। अतः हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 के आलोक में उक्त वाद का परीक्षण किया जाने पर यह स्पष्ट होता है कि चिरन्जी के अपने पिता कल्याण पुत्र किशना के जीवनकाल में ही कल्याण के भाई बिरदा पुत्र किशना के गोद चले जाने से चिरन्जी के जन्म के परिवार के साथ समस्त बन्धन टूट गये है और उनका स्थान उन बन्धनों ने ले लिया है जो बरधा पुत्र किशना के कुटूम्ब में दत्तक के कारण सृजित हुए है। अतः इस प्रकार बिरधा पुत्र किशना एवं तत्पश्चात कस्तुरी पत्नी बिरदा की विरासत चिरन्जी पुत्र बिरदा के नाम अंकन किया जाना विधि सम्मत सही एवं उचित था परन्तु चिरन्जी पुत्र बिरधा के नाम कल्याण पुत्र किशना की विरासत का अंकन विधि अनुकुल नहीं था क्योंकि चिरन्जी पुत्र कल्याण के बरधा पुत्र किशना के गोद चले जाने से चिरन्जी के अपने जन्म परिवार से सम्बन्ध समाप्त हो गये है एवं वह अब चिरन्जी पुत्र कल्याण के स्थान पर चिरन्जी पुत्र बरधा है एवं इसी अनुसार वह बरधा की विरासत से प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

खातेदारी भूमि का मालिक काबिज है एवं उक्त कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहा है। अतः प्रथम दृष्टया वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझती है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी वर्ष 2072–73 ग्राम उनियारा पटवार मण्डल उनियारा तहसील उनियारा के खाता संख्या 936 में से चिरन्जी पुत्र कल्याण जाति माली साकिन देह खातेदार का हिस्सा 1/5 हजफ किया जाने के आदेश प्रदान करती है। मृतक खालीराम के वारिसान 14.1 लगायत 14.12 क्रमशः श्रीमति मोत्या, हेमराज, ब्रजमोहन, बाबूलाल, बबलू, गौतम, किष्कन्दा, मोहनी, ममता, गुडडी, कमला एंव गोराबाई मृतक खालीराम के हिस्से की खातेदारी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। वादी संख्या 1 लगायत 4 क्रमशः अनोख ओमप्रकाश, मनोज एवं मंजू तथा वादी संख्या 5 लगायत 13 क्रमशः कन्हैयालाल तेजमल, सत्यनारायण, भंवरलाल, शंकर, लादी, रामकुरी सुशीला एवं गंगा तथा वादी संख्या 14.1 लगायत 14.12 क्रमशः श्रीमति मोत्या, हेमराज, ब्रजमोहन, बाबूलाल, बबलू, गौतम, किष्कन्दा, मोहनी, ममता, गुडडी, कमला एंव गोराबाई को चिरन्जी पुत्र कल्याण के हिस्से 1/5 का हिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है।

यह निर्णय आज दिंनाक 06.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट ... जिला-टोंक

06/06/2024

त्रिलोक चन्द मीना (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक
, उनियारा